न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 3880-I-16

अंबिका प्रसाद बक्शी आत्मज स्व0 श्री काशी प्रसाद बक्शी

निवासी–झंडा चौक गोपालगंज वार्ड तहसील व जिला सागर (म0प्र0)

— रिवीजनकर्ता

//विरूद्ध//

1. रघुवीर प्रसाद बक्शी
2. महावीर प्रसाद बक्शी
3. विजय कुमार बक्शी
4. गोविंद प्रसाद बक्शी

चारों के पिता स्व0 श्री काशी प्रसाद बक्शी

सभी निवासी –झंडा चौक गोपालगंज वार्ड तहसील व जिला सागर (म0प्र0)

5. राजेश बक्शी आत्मज श्री आर.पी.बक्शी

निवासी––झंडा चौक गोपालगंज वार्ड तहसील व जिला सागर (म0प्र0)

— अनावेदकगण

रिवीजन प्रकरण क्रं0 प्रस्तुती दिनॉक :–

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

रिवीजन कर्ता की ओर से सविनय निम्न प्रार्थना हैं :–

रिवीजनकर्ता प्रस्तुत रिवीजन अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 24.10.2016 राजस्व प्रकरण क्रं0 84अ/27 वर्ष 2015–16 पक्षकार रघुवीर प्रसाद बगैरह विरूद्ध अंबिका प्रसाद बक्शी ने पारित आदेश से दुखित होकर विधि एवं तथ्यों के अलावा अन्य आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता हैं।

1. यह कि, रिवीजनकर्ता ने न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर के यहॉ लंब्रित राजस्व प्रकरण 84अ/27 वर्ष 2015 पक्षकार रघुवीर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3880-एक/2016 जिला सागर अंबिकाप्रसाद विरूद्ध रघुवीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 84/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

01/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य